न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/4217/2003/भरतपुर

1– करणसिंह पुत्र हरिलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

–अपीलांट

बनाम

1– महाराजसिंह पुत्र पदमसिंह मृतक जरिए विधिक वारिसानः–

1/1– मु0 बासमती बेवा महाराजसिंह जाट

1/2– धर्मवीर पुत्र महाराजसिंह जाट

1/3– सतवीर पुत्र महाराजसिंह जाट

1/4– सुमीला पुत्री महाराजसिंह

1/5– शीला पुत्री महाराज सिंह

1/6– तारा पुत्री महाराज सिंह

1/7– मंजू पुत्री महाराज सिंह

1/8– ललिता पुत्री महाराज सिंह

1/8/1– रामकिशन पति ललिता

1/8/2– विष्णु पुत्र ललिता

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

2– हरिलाल पुत्र जौहरी लाल कुम्हार (नाम तर्क)

3– दुलीचंद पुत्र हरिलाल कुम्हार

4– हरीचरन पुत्र हरिलाल कुम्हार

5– मु0 प्रेम पत्नी हरिलाल कुम्हार

समस्त निवासी ग्राम पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

–रेस्पोडेंटस

उपस्थितः—

श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता अपीलांट।
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता रेस्पो0

खण्डपीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री राजेश सिंह, सदस्य

निर्णय

दिनांकः— 12.11.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 133/2002 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपजिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा संख्या 7, 8, 55, 57 69, 72, 73, 87 मिन, 91 व 97 कुल किता 10 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 5, 22, 23, 24, 55, 62, 65, 183, 187 कुल किता 9 रकबा 3 है0 42 एयर वाकै ग्राम सुपावस, तहसील कुम्हेर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हरीलाल के संयुक्त खातेदारी व आराजी मुतनाजा पैत्रिक सम्पत्ति है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के बाबा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जौहरी की खातेदारी की थी जिनकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई किंतु काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहिता पत्नी जावित्री थी, जिसका वादी पुत्र है, जिसकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने मु. प्रेम के साथ घरेजा कर लिया व तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 का वादी के साथ विवाद हो गया तब वादी द्वारा अपने हिस्से की आराजी बाबत् दावा पेश किया गया। दौराने वाद एक राजीनामा हुआ तथा उक्त आराजी में से खसरा संख्या 55, 91, 97 जिसके नए खसरा संख्या 62, 64, 65 व 187 बने हैं, वह वादी के कब्ज काश्त में दिया गया तथा शेष आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व

मु. प्रेम से पैदा हुए पुत्रों की रही। प्रतिवादी ने चालाकी से वादी की अनपढ़ता का फायदा उठाते हुए खसरा संख्या 91 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा संख्या 64 रकबा 0.34 एयर को प्रतिवादी संख्या 2 महाराज सिंह को बेचान कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व के राजीनामे से पाबंद था। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के नाम जो अमल दरामद हुआ है उसे निरस्त किया जावें। उक्त आशय का वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद में उठाए गए कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–03–2002 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 महाराज सिंह द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2003 द्वारा स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 64 बाबत् डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वादी ने माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश की।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादी संख्या 2 महाराज सिंह की दावे में पूर्ण तामील हुई है तथा पत्रावली पर उसका नोटिस भी तामील हुआ है, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने मात्र आर्डर शीट देखकर ही विपक्षी महाराज सिंह को नोटिस तामील नहीं होना एवं उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना मानकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि खसरा संख्या 64, 62, 65 व 87 अपीलांट करणसिंह को हस्तांतरण के पूर्व में किए गए दावे में हरिलाल से किए गए राजीनामें से प्राप्त हुई है व हरिलाल को अपीलांट के हिस्से में आयी भूमि का बेचान करने का कोई भी अधिकार नहीं था। अतः उसका बेचाननामा कतई अवैध एवं वादी के विरूद्ध बेअसर था किन्तु इसके बावजूद भी अपीलीय

न्यायालय ने खसरा संख्या 64 बाबत् डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है, जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2003 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय उपजिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30. 03.2002 को यथावत् रखा जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि विवादित खसरा संख्या 64 को महाराज सिंह द्वारा हरिलाल से जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय किया है, फिर भी अधी0न्याया0 ने इस आराजी का रिकार्डेड खातेदार होने के बावजूद भी रेस्पो0 को सुनवाई का मौका नहीं दिया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.08.2000 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सी0जी0एम0 से पत्रावली वापिस आने पर पक्षकारों को नोटिस जारी करने बाबत् आदेश दिया गया था, इसके बावजूद भी रेस्पो0 को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है, जिसे निरस्त कर अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जो उचित निर्णय है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी ने वर्तमान रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलेक्टर, भरतपुर के न्यायालय में रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजियात बाबत् वाद पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर साबिक 7, 8, 55, 57, 69, 72, 73, 87 मिन, 91 व 97 कुल किता 10 कुल रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 5, 22, 23, 24, 55, 62, 65, 183, 187 कुल किता 9 रकबा 3 है0 42 ऐयर ग्राम सुपावस, तहसील कुम्हेर में स्थित है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हरीलाल के संयुक्त खातेदारी की होकर पैत्रिक आराजियात है । उक्त वाद में एक राजीनामा हुआ व उक्त आराजी में से खसरा नंबर 55, 91, 97 जिसके नये नंबर 62, 64, 65 व 187 बने है, वादी के

कब्जे काश्त में रखी गई व शेष आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व मु0 प्रेम से पैदा हुए बच्चो की रही । प्रतिवादी ने चालाकी से वादी की अनपढ़ता का फायदा उठाते हुए खसरा नंबर 91 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नंबर 64 रकबा 0.34 ऐयर को प्रतिवादी संख्या 2 महाराजसिंह को बेचान कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व के राजीनामे से पाबंद था । अतः प्रतिवादी संख्या 2 के नाम जो अमल दरामद हुआ है उसे निरस्त किया जावे । विचारण न्यायालय ने उक्त आशय का वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद कथनों से इंकार किया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30.03.2002 के द्वारा अपीलांट/वादी का वाद डिक्री किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जिसमें कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 64 को प्रतिवादी संख्या 2 महाराज सिंह ने हरीलाल से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया है तथा वह सद्भाविक क्रेता है, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 जो कि रिकोर्डेड खातेदार है, को सुनवाई का मौका दिये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई की जाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

8— अपीलीय न्यायालय ने उक्त आशय की अपील पेश होने पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30.07.2003 के द्वारा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 2 महाराज की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर हाल खसरा नंबर 64 वाके ग्राम सुपावस तहसील कुम्हेर बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह दोनों पक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । अपीलीय न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय का मुख्य आधार यह माना है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.08.2000 के अनुसार पक्षकारान को नोटिस जारी करने हेतु आदेश दिये गये थे, लेकिन इसके बावजूद भी आदेशिका से यह जाहिर नहीं होता है कि रेस्पो0 को तामील कराई हो या नहीं । महाराज सिंह इस भूमि का वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है और उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये

ही उसके खिलाफ आदेश पारित किया गया है । अधी0न्यायाल0 की पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2042–2062 में महाराजसिंह पुत्र पदम जाति जाट खसरा नंबर 64 रकबा 34 ऐयर का खातेदार दर्ज है । हम अपीलीय न्यायालय के उक्त निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 2 महाराज सिंह ने विवादित भूमि खसरा नंबर 64 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है तथा संवत 2042 से 2062 में महाराज सिंह पुत्र पदमसिंह जाति जाट खसरा संख्या 64 रकबा 34 ऐयर का खातेदार है । ऐसी स्थिति में उसकी क्रयशुदा आराजी होने तथा जमाबंदी में उसका नाम अंकित होने के कारण उसकी खातेदारी को हटाने से पूर्व उसको सुना जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है ।

12– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2003 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेश सिंह)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य